



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225632
CG-DL-E-04032021-225632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 923]
No. 923]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 997(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे एन एच एन ई ४ के ३.५६५ कि.मी ते ३०.९६० कि.मी. तक के भूखण्ड (महाराष्ट्र सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह/आठ लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी, वसई विभाग वसई, पालघर महाराष्ट्र को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे एन एच एन ई ४ के ३.५६५ कि.मी से ३०.९६० कि.मी. तक (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पालघर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: वसई					
गांव का नाम: खार्डी					
1	152P	सरकारी	वने	0.5304000(हेक्टेयर)	0.5304000
गांव का नाम: कोशिंबे					
1	16P	निजी	कृषी	0.2816000(हेक्टेयर)	0.2816000
2	17P	निजी	कृषी	1.1191000(हेक्टेयर)	1.1191000
3	18	निजी	कृषी	0.0779000(हेक्टेयर)	0.0779000
4	19P	निजी	कृषी	1.9210000(हेक्टेयर)	1.9210000
5	22	सरकारी	वने	0.9312000(हेक्टेयर)	0.9312000
6	23P	सरकारी	वने	2.3121000(हेक्टेयर)	2.3121000
7	33	निजी	कृषी	0.3690000(हेक्टेयर)	0.3690000
8	34	निजी	कृषी	0.0424000(हेक्टेयर)	0.0424000
9	35P	निजी	कृषी	0.0422000(हेक्टेयर)	0.0422000
10	38	निजी	कृषी	0.0207000(हेक्टेयर)	0.0207000
11	39	निजी	कृषी	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
12	40P	निजी	कृषी	0.0686000(हेक्टेयर)	0.0686000

13	41P	निजी	कृषी	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
14	49P	निजी	कृषी	0.0097000(हेक्टेयर)	0.0097000
15	86 P	निजी	कृषी	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
कुल				7.8733	7.8733

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 997(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening Six/Eight laning etc.), maintenance, management and operation of Mumbai - Vadodara Expressway NH-NE4 in the stretch of land from Km 3.565 to Km 30.960 (Maharashtra Section) in the District of Palghar in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, and sub divisional officer, Vasai Division, Vasai in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 3.565 to Km.30.960 (Maharashtra Section) Mumbai- Vadodara Expressway NH-NE4 in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: PALGHAR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Vasai					
Village: Khardi					
1	152P	Government	Forest	0.5304000(Hectare)	0.5304000
Village: Koshimbe					
1	16P	Private	Agricultural	0.2816000(Hectare)	0.2816000
2	17P	Private	Agricultural	1.1191000(Hectare)	1.1191000
3	18	Private	Agricultural	0.0779000(Hectare)	0.0779000

4	19P	Private	Agricultural	1.9210000(Hectare)	1.9210000
5	22	Government	Forest	0.9312000(Hectare)	0.9312000
6	23P	Government	Forest	2.3121000(Hectare)	2.3121000
7	33	Private	Agricultural	0.3690000(Hectare)	0.3690000
8	34	Private	Agricultural	0.0424000(Hectare)	0.0424000
9	35P	Private	Agricultural	0.0422000(Hectare)	0.0422000
10	38	Private	Agricultural	0.0207000(Hectare)	0.0207000
11	39	Private	Agricultural	0.1100000(Hectare)	0.1100000
12	40P	Private	Agricultural	0.0686000(Hectare)	0.0686000
13	41P	Private	Agricultural	0.0354000(Hectare)	0.0354000
14	49P	Private	Agricultural	0.0097000(Hectare)	0.0097000
15	86 P	Private	Agricultural	0.0020000(Hectare)	0.0020000
Total				7.8733	7.8733

[F. No. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3A2]

RAJESH GUPTA, Director